न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -156/2023-24

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

लक्ष्मी महली बनाम घुमेश्वर महली

22.05.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	लक्ष्मी महली पिता–स्व० पुशुवा महली, ग्राम–कटियाडीह शिशिटांड़, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीबारी।
क्रेता का नाम एवं पता –	घुमेश्वर महली पिता–स्व० राधा महली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीवारी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री मौन ब्रत मुखर्जी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–21/01/2023 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता घुमेश्वर महली पिता–स्व० राधा महली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीवारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोकरोडीह	सोनाहातु/101	61	341	16 डी० चौहद्दी: उ०–राधा महली। द०–कालीचरण महली। पू०–भरत महली वगै०। प०–सोहराई बैठा।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–148(ii) दिनांक–11/05/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मझला महली वो गुरूवा महली पे० वोध महली के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम मझला महली वो गुरूवा महली है। तथा रैयत के पास रकबा–9.81 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2022–23 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–9.65 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घर बनाने एवं आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कौम महली है।
(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो सोनाहातु थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता लक्ष्मी महली पिता–स्व० पुशुवा महली, ग्राम–कटियाडीह शिशिटांड़, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता घुमेश्वर महली पिता–स्व० राधा महली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीवारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–21/01/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता लक्ष्मी महली पिता–स्व० पुशुवा महली, ग्राम–कटियाडीह शिशिटांड़, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीबारी, को क्रेता घुमेश्वर महली पिता–स्व० राधा महली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–खेतीवारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोकरोडीह	सोनाहातु/101	61	341	16 डी० चौहद्दीः उ०–राधा महली। द०–कालीचरण महली। पू०–भरत महली वगै०। प०–सोहराई बैठा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.05.26 16:45:15 +05:30
Location: 10.93.79.19